राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना पत्र संख्या............05/2014/जयपुर.....(मूल अपील संख्या 2020/2013/जयपुर)...

उनवान : मै0 नोवा ट्रैडिंग प्रा0लि0 जयपुर बनाम उपायुक्त अपील्स, प्रथम वाणिज्यिक कर जयपुर, व सहायक आयुक्त, प्रतिकरापंवचन, राजस्थान, प्रथम जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.03.2014	**खण्डपीठ कैम्प–जयपुर** **श्री जे आर लोहिया–सदस्य** **श्री मदनलाल– सदस्य** यह विविध प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी (प्रथम) वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय प्राधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 2020/2013 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2013 में माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील स्तर पर अपील निस्तारण हेतु निर्देशित अवधि 3 माह में अपील निष्पादन नहीं हो सकने के कारण, अवधि बढाये जाने हेतु निवेदन किया गया है। विभाग के उपराजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह व प्रत्यर्थी के अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा उपस्थित। उभयपक्षों की बहस सुनी गई। कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा उक्त अपील में दिनांक 27.11.2013 को निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी को रू0 3,14,81,342/– की वसूली पर कतिपय शर्तो के अनुसार रोक स्वीकार की गई थी तथा अपीलीय प्राधिकारी को निर्देशित किया गया था कि आदेश प्राप्ति के 3 माह में उनके समक्ष लम्बित अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करे। अपीलीय प्राधिकारी ने अपने विविध प्रार्थना पत्र में जाहिर किया है कि उनके पास वर्तमान में अपीलीय अधिकारी, द्वितीय जयपुर का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है तथा प्रकरण में अन्तर्राज्यीय कर/वेट कर के निर्धारण को संबंधित विधिक बिन्दु अन्तर्वलित होने के कारण निर्देशित समय सीमा में अपीलो का निष्पादन नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में यह पीठ उचित समझती है कि अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लम्बित अपीलों के निष्पादन हेतु दिनांक 30.04.2014 तक की अवधि बढायी जाये। परिणामस्वरूप अपीलार्थी से पूर्व आदेश में वर्णित शर्तों के आधार पर बकाया वसूली योग्य राशि पर रोक भी दिनांक 30.04.2014 तक बढायी जाए। परिणामस्वरूप विविध प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार समय अवधि बढायी जाती है। निर्णय सुनाया गया। विविध प्रार्थना पत्र की पत्रावली मूल अपील पत्रावलियों में संलग्न की जावे। 11.3.2014 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 11.03.2014 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	